रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2007/श्रावण 29, 1929
No. 171] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2007/SRAVANA 29, 1929

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2007

एफ. सं. 34-2/2005/एनसीटीई/सीडीएन.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 19 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 32 की उप-धारा (1) और उप-धारा-(2) के खंड (आई) तथा (पी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र में सं. 121 के रूप में 30-8-2005 को प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारिणी समिति को कार्यों का समनुदेशन) विनियमन, 2005 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** :–(i) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (कार्यकारिणी समिति को कार्यों का समनुदेशन) विनियमन, 2007 कहा जाएगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा** :–इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, वहीं होंगे जैसा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 2 में परिभाषित है । राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को इसके बाद राअशिप कहा जाएगा ।

3. **प्रकार्य** :–(i) कार्यकारिणी समिति राअशिप के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे सभी प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर विचार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी । कार्यकारिणी समिति को सौंपे जाने वाले विशिष्ट प्रशासनिक और वित्तीय मामले, जो राअशिप के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों से परे हैं, की पहचान अलग से राअशिप के कार्यालय द्वारा की जाएगी और तदनुसार यह खंड ऐसी विशिष्ट पहचान के बाद एक संशोधन विनियमन के माध्यम से संशोधित किया जाएगा ।

(ii) कार्यकारिणी समिति अध्यापक शिक्षा के नियोजन और समन्वय से संबंधित सभी मामलों पर विचार करेगी और उसे अनुमोदित करेगी । कौन से मामले अध्यापक शिक्षा के नियोजन और समन्वय से संबंधित है, इसके निर्णय का अधिकार अध्यक्ष, राअशिप में निहित होगा ।

(iii) कोई अन्य विशिष्ट मद जो परिषद् चाहती है कि कार्यकारिणी समिति इस पर पहले करने के उपरांत संस्तुति दे ।

टिप्पण : कार्यकारिणी समिति इसके बाद उपखंड (iii) के सामने दिए गए कार्य के अलावा स्वयं को सुपुर्द किए गए उपरोक्त कार्यों के संबंध में अंतिम निर्णय परिषद् के समक्ष रखे बिना ही लेगी । तथापि कार्यकारिणी समिति के बैठकों का कार्यवृत्त सूचना के लिए परिषद् के समक्ष रखा जाएगा ।

4. **बैठकों की अध्यक्षता करने की रीति और कार्यवृत्त का अनुमोदन** :–कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, राअशिप और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, राअशिप और दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चयन किए गए कार्यकारिणी समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी । अध्यक्ष, राअशिप के अलावा किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक

में लिया गया निर्णय अध्यक्ष, राअशिप द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा । सदस्य सचिव, राअशिप कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यसूची की मदें और कार्यवृत्त तैयार करने और अध्यक्ष, राअशिप के अनुमोदन से उसे संबंधित सदस्यों को जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा ।

वी.सी. तिवारी, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन III/IV/131/2007/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2007

F. No. 34-2/2005/NCTE/CDN.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clauses (i) and (p) of sub-section (2) of section 32 read with sub-section (1) of section 19 of the National Council for Teacher Education Act, 1993, and in supersession of the National Council for Teacher Education (Assignment of Functions to the Executive Committee) Regulations, 2005 published in the Gazette of India as No. 121 on 30-8-2005, the National Council for Teacher Education hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Assignment of Functions to the Executive Committee) Regulations, 2007.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :—In these Regulations, unless the context otherwise requires, the definitions of terms used shall be the same as defined in section 2 of the National Council for Teacher Education Act, 1993. The National Council for Teacher Education shall hereinafter be referred to as NCTE.

3. Functions :—(i) The Executive Committee shall consider and approve all administrative and financial matters beyond the delegated powers of the officers of NCTE. The specific administrative and financial matters to be assigned to the Executive Committee that are beyond the delegated powers of the officers of the NCTE shall be identified separately by the office of the NCTE, and this clause shall, after such specific identification, be amended accordingly through an amendment Regulation;

(ii) The Executive Committee shall consider and approve all matters relating to planning and co-ordination of teacher education. The decision as to what matters comprise planning and co-ordination of teacher education shall vest with the Chairperson, NCTE; and

(iii) Any other specific item which the Council would like the Executive Committee to consider first and make recommendations to them.

Note :—The Executive Committee shall take a final decision with respect to the above functions assigned to it, except the one against sub-clause (iii), without having to place them before the Council thereafter. The minutes of the meetings of the Executive Committee shall, however, be placed before the Council for information.

3. Manner of presiding the meetings and approval of minutes :—The meetings of the Executive Committee will be presided over by the Chairperson, NCTE and, in his absence, by the Vice Chairperson, NCTE and, in the absence of both, by any other member of the Executive Committee to be chosen by the members present at the meeting. The decisions taken in the Executive Committee meeting by any presiding member other than the Chairperson, NCTE will be subject to approval by the Chairperson, NCTE. The Member-Secretary, NCTE shall be responsible for drafting the agenda items and minutes of the Executive Committee meetings, and get them issued to the members concerned with the approval of the Chairperson, NCTE.

V.C. TEWARI, Member-Secy.

[ADVT III/IV//131/2007/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.